राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 3682/2020

वंदना धोलपुरिया पुत्री श्री नथमल धोलपुरिया पत्नी श्री दिलीप कुमार, लगभग 28 वर्ष की आयु, जाति -एससी, निवासी -वार्ड संख्या 27, रेगर बस्ती, सादुलपुर, राजगढ़, जिला चुरू ---- याचिकाकर्ता।

बनाम

1. मुख्य सचिव, आयुर्वेदिक और भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान राज्य, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।

2. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर, अशोक मार्ग, सावित्री चौराहा, अजमेर---उत्तरदाता।

याचिकाकर्ताओं के लिए:- श्री शंकर दयाल।

उत्तरदाताओं के लिए:- श्री ए. के. गौड़, श्री सुनील पुरोहित (उत्तरदाता-3), श्री जसराज सिंह।

माननीय न्यायाधीश श्री अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

11/01/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत, अन्य बातों के साथ-साथ, यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने उत्कृष्ट खेल श्रेणी के तहत याचिकाकर्ता के आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया है। इसके अलावा, उत्तरदाताओं को दिनांकित 06.10.2018 (अनुलग्नक 1) के विज्ञापन के अनुसार, आयुर्वेद विभाग में कम्पाउंडर/नर्स, जूनियर ग्रेड के पद के लिए याचिकाकर्ता को नियुक्ति की पेशकश करनी चाहिए थी।

2. संक्षिप्त तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार हैः-

2.1. आयुर्वेदिक विभाग, राजस्थान, अजमेर के निदेशक (इसके बाद "प्रतिवादी संख्या 2" के रूप में संदर्भित) ने कम्पाउंडर/नर्स जूनियर ग्रेड के रिक्त पदों को भरने के लिए दिनांक 06.10.2018 को एक विज्ञापन जारी किया।

2.2. याचिकाकर्ता, उपरोक्त पद के लिए नियुक्त होने के योग्य और इच्छुक होने के कारण, विज्ञापन के जवाब में एक ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किया। हालांकि, उत्कृष्ट खेल श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन में कोई विकल्प उपलब्ध नहीं था। नतीजतन, वह उक्त श्रेणी के तहत आवेदन नहीं कर सकी।

2.3. प्रत्यर्थियों ने याचिकाकर्ता को एक सूचना पत्र जारी किया, जिसमें उसे 05.03.2019 को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित रहने के लिए कहा गया।

2.4. इसके बाद, उत्तरदाताओं ने एक कट-ऑफ सूची और एक संशोधित कट-ऑफ सूची दिनांक 02.02.2020 जारी की। हालाँकि, याचिकाकर्ता का नाम उक्त योग्यता सूची में शामिल नहीं था।

2.5. याचिकाकर्ता ने निदेशक, आयुर्वेद विभाग के समक्ष दिनांक 17.02.2020 को एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें अनुसूचित जाति महिला श्रेणी के तहत मान्यता का अनुरोध किया गया क्योंकि वह एक उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं। हालाँकि, चूंकि आवेदन पत्र में उत्कृष्ट खेल उम्मीदवारी का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने दस्तावेज जमा करने की अनुमति का अनुरोध किया। इसके बावजूद, प्रत्यर्थियों ने उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया, जिससे तत्काल रिट याचिका दायर की गई।

3. जवाब में उत्तरदाताओं का बचाव, अन्य बातों के साथ-साथ, यह है कि सभी पदों को योग्य उम्मीदवारों द्वारा भरा गया है, और बाद में, उत्तरदाता विभाग द्वारा वर्ष 2021 और 2022 के लिए एक नई

भर्ती प्रक्रिया शुरू और पूरी की गई है। इसलिए, उनका तर्क है कि वर्तमान रिट याचिका खारिज किए जाने के योग्य है।

4. उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, मैंने दोनों पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलें सुनी हैं।

5. याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत तर्क मुख्यतः दो हैं:-
ए) सबसे पहले, ऑनलाइन आवेदन पत्र में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए कॉलम निर्दिष्ट नहीं किया गया था, इस प्रकार याचिकाकर्ता उसी का विकल्प नहीं चुन सकता था, और इस प्रकार याचिकाकर्ता को उक्त श्रेणी से वंचित करने में उत्तरदाताओं की गलती है। दूसरा, याचिकाकर्ता ने आगरा और यू. पी. टेनिस बॉल क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित 27 वीं वरिष्ठ राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट चैम्पियनशिप 2016 (पुरुष और महिला) में भाग लिया, और जिसके लिए याचिकाकर्ता को विधिवत एक प्रमाण पत्र (अनुलग्नक 4) जारी किया गया है, इस प्रकार वह उत्कृष्ट खिलाड़ियों की श्रेणी में माने जाने की हकदार है।

6. पहले दूसरा तर्क, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए खेल प्रमाण पत्र (अनुलग्नक 4) की जांच से पता चलता है कि यह याचिकाकर्ता को 27 वीं वरिष्ठ राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट चैम्पियनशिप 2016 (पुरुष और महिला) में भाग लेने के लिए जारी किया गया है, जिसका आयोजन भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट महासंघ के तत्वावधान में आगरा और उत्तर प्रदेश टेनिस बॉल क्रिकेट संघ द्वारा किया गया है, जिसे एशियाई टेनिस बॉल क्रिकेट महासंघ से संबद्ध कहा जाता है। यह आगे कहा गया है कि उक्त एशियाई टेनिस बॉल क्रिकेट महासंघ को युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। हालाँकि, इस बारे में कुछ अस्पष्टता है कि क्या प्रमाण पत्र में उल्लिखित ये मान्यताएँ अकेले आगरा या यू. पी. टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन या दोनों या भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट महासंघ या एशियाई टेनिस बॉल क्रिकेट महासंघ से संबंधित

हैं। जो भी हो, जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि क्या ये मान्यताएं विज्ञापन (अनुलग्नक 1) में परिकल्पित मान्यता की पूर्व शर्त को पूरा करती हैं।

7. जबकि रिट याचिका में केवल एक उद्धरण जोड़ा गया है, सुनवाई के दौरान, पूरा विज्ञापन प्रदान किया गया है, जिसे रिकॉर्ड में लिया गया है और अनुलग्नक ए के रूप में चिह्नित किया गया है। खंड (vi) के साथ पठित खंड (v) की सावधानीपूर्वक जांच में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल उन्हीं खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खेल श्रेणी का कोई लाभ दिया जाएगा जिन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ और भारतीय ओलंपिक महासंघ द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त कोई भी खेल खेला है। न तो रिट याचिका के साथ और न ही सुनवाई के दौरान, यह दर्शाने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड पर आया है कि क्या उपरोक्त एशियाई टेनिस बॉल क्रिकेट महासंघ को भारतीय ओलंपिक संघ या भारतीय ओलंपिक महासंघ द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त है।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4947/2022 (किशोर राम बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य) में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित दिनांकित 22.08.2023 के निर्णय पर भरोसा करते हैं। उक्त निर्णय पर विचार करने के बाद, यह पता चलता है कि यहाँ विवाद इस न्यायालय की समन्वय पीठ के समक्ष मुद्दा नहीं था।

10. वास्तव में, इसके विपरीत, एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2580/2022 (निशा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य) में मेरे विद्वान भाई अरुण भंसाली, जे. की अध्यक्षता वाली समन्वय पीठ के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है। जिसमें शामिल मुद्दा सीधे तौर पर यहाँ जैसा ही था। इस अदालत के लिए बोलते हुए मेरे विद्वान भाई ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः -

“पक्षों के विद्वान वकील को सुना। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री

का अवलोकन किया। विज्ञापन में शर्त का अंग्रेजी संस्करण इस प्रकार हैः (v) भारतीय ओलंपिक संघ/भारतीय पैरा ओलंपिक समिति या उससे संबद्ध राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों/राष्ट्रीय पैरा खेलों या किसी भी खेल और खेलों की राष्ट्रीय चैंपियनशिप/पैरा राष्ट्रीय चैंपियनशिप में व्यक्तिगत या टीम प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। शर्त की आवश्यकता बहुत स्पष्ट है, जिसमें इस आयोजन का आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ/भारतीय पैरा ओलंपिक समिति या उनके संबद्ध राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा किया जाना चाहिए था। मान लीजिए, भारतीय शूटिंगबॉल महासंघ भारतीय ओलंपिक संघ से संबद्ध नहीं है और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादियों ने एक उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने में कोई गलती की है। याचिका में कहा गया है कि चूंकि संघ राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ से संबद्ध है, जो बदले में भारतीय ओलंपिक संघ से संबद्ध है और इसलिए शर्त पूरी की गई है, इसलिए केवल अस्वीकृति के लिए देखा गया है, क्योंकि शर्त के लिए प्रत्यक्ष संबद्धता की आवश्यकता है न कि किसी अन्य ओलंपिक संघ के माध्यम से। उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका में कोई सार नहीं है। इसलिए, इसे खारिज कर दिया जाता है।"

मैं ऊपर दिए गए दृष्टिकोण से सम्मानपूर्वक सहमत हूं।

11. न तो आगरा/यूपी टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा याचिकाकर्ता को जारी प्रमाण पत्र और न ही रिकॉर्ड पर किसी अन्य दस्तावेज से पता चलता है कि टेनिस बॉल क्रिकेट के तथाकथित खेल को या तो एक मान्यता प्राप्त खेल के रूप में मान्यता प्राप्त है या अन्यथा टूर्नामेंट का संचालन करने वाला महासंघ भारतीय ओलंपिक संघ से संबद्ध है।

12. इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रमाण पत्र में कहा गया है कि

टेनिस बॉल क्रिकेट संघ का आयोजन करने वाले महासंघ को युवा और खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, लेकिन यह याचिकाकर्ता को किसी भी तरह से मदद नहीं करता है, क्योंकि विज्ञापन के अनुसार स्पष्ट शर्त यह है कि उत्कृष्ट खिलाड़ी द्वारा खेले जाने वाले खेलों को भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए। परिणामस्वरूप, हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

13. रिट याचिका को बर्खास्त किया जाता है

(अरुण मोंगा), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।